



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03062025-263547
CG-MH-E-03062025-263547

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2384]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2025/ज्येष्ठ 9, 1947

No. 2384]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2025/JYAISTHA 9, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 28 मई, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 2443(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, तहसील के संबंध में महाराष्ट्र राज्य में, “भुसावल मंडल के ईगतपुरी-मनमाड और भुसावल-बड़नेरा अनुभाग के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट्स के बदले आरओबी और आरयूबी (10 संख्या) का प्रस्तावित निर्माण” की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी (CALA)	तालुका	गांव का नाम	रेलवे क्रॉसिंग गेट
1.	सहायक कलेक्टर एवं उपविभागीय अधिकारी, नासिक	नासिक	देवळाली	88

[फा. सं. G197/ROB/LC Gate 88/Devlali/May/7A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th May, 2025

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act, 2008

S.O. 2443(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “**Proposed Construction of ROB & RUB (10 Nos.) in lieu of Level Crossing Gates between Igatpuri-Manmad & Bhusawal-Badnera Section of Bhusawal Division**” in the State of Maharashtra relating to Taluka Mentioned in Column of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S. No.	Competent Authority	Taluka	Village	Railway Crossing Gate
1	Assistant Collector & Sub-Divisional Officer, Nashik	Nashik	Devlali	88

[F. No. G197/ROB/LC Gate 88/Devlali/May/7A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Admn. Officer (Cons.)